न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर

राजस्व वाद संख्या – 93/2014

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्रीमति रतन कौर, आर0ए0एस0

मगना पुत्र जुवारा, जाति गुर्जर निवासी ग्राम पदमपुरा, तहसील व जिला अजमेर।

––वादी

बनाम

1– रामपाल पुत्र किशना
2– हरदेव पुत्र जुवारा
3– औंकार पुत्र जुवारा
समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम पदमपुरा तहसील व जिला अजमेर।
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।
5– उप पंजीयक–द्वितीय, अजमेर।
6– पटवारी पदमपुरा, तहसील व जिला अजमेर।

––प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

श्री मौहम्मद इकबाल, वकील वादी

निर्णय

दिनांक–13.11.2025

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम पदमपुरा पटवार क्षेत्र चाचियावास भू–निरीक्षक क्षेत्र नरवर, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है, जिसके जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के अनुसार खसरा संख्या 1007/1299 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 577 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही–1, खसरा संख्या 579 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी–1 खसरा संख्या 869/1501 रकबा 0.03 है0 किस्म चाही–1, खसरा संख्या 875 रकबा 0.13 है0 किस्म चाही–1 एवं खसरा संख्या 687 रकबा 0.29 है0 किस्म बारानी–3 है। उक्त वादग्रस्त आराजियात वादी की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा निहित एवं शेष 3/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का है। उक्त वादग्रस्त आराजियात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आज दिवस तक बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजियात के खसरा संख्या 687 के पुराने खसरा संख्या 669 रकबा 0.29 है0 वादी व प्रतिवादीगण को आवंटित की गई थी। जिसकी खातेदारी का नामान्तकरण भी वादी के नाम दर्ज है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा निहित है। जिस बाबत वाद वास्ते बंटवारा प्रस्तुत किया जा रहा है तथा साथ ही वादी के द्वारा खसरा नम्बर 687 व 986 में अपने हिस्से का बैचान पूर्व में किया जा चुका है। जिसके बावत वर्तमान वाद में वादी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई दादरसी नहीं चाही गई है। वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादीगण द्वारा बिना बंटवारा कराये अच्छी भूमि को बैचान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है एवं भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। जिसके लिए वाद वास्ते बंटवारा आज्ञप्ति एवं जारी करने स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण सर्वप्रथम दिनांक

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

10.07.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण के द्वारा वादी को खेतों में बुआई करने से रोका गया और लड़ाई झगड़ा किया गया। जिससे वाद कारण दिनांक 10.07.2014 से उत्पन्न होकर आज दिनांक तक जारी है। वादी द्वारा उक्त वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया। अंत में वाद स्वीकार किया जाकर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं, जिसके कारण इनके विरूद्व दिनांक 17.01.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 को जवाब सरकार पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 25.01.2019 को जवाब सरकार बंद कर पत्रावली साक्ष्य वादी नियत की गई। वकील वादी द्वारा दिनांक 09.07.2024 को साक्ष्य वादी पेश नहीं कर बहस सुने जाने का निवेदन किये जाने पर उनकी बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक 30.07.2024 को ग्राम पदमपुरा पटवार क्षेत्र चाचियावास भू–निरीक्षक क्षेत्र नरवर, तहसील व जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के अनुसार खसरा संख्या 1007/1299 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 577 रकबा 0.12 है0 किस्म चाही–1, खसरा संख्या 579 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी–1 खसरा संख्या 869/1501 रकबा 0.03 है0 किस्म चाही–1, खसरा संख्या 875 रकबा 0.13 है0 किस्म चाही–1 का बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स के आधार पर बंटवारा किये जाने के आदेश दिये गये तथा इसी आशय की डिक्री जारी की गई। तहसीलदार अजमेर को राजस्व मण्डल राज0, अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशों **(नियम 18 से 20)** की पालना कराते हुए किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर उभयपक्ष की मौजूदगी में भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव में नक्शा भिन्न–भिन्न रंगों का दर्शाते हुए न्यायालय में 30 दिवस में प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, अजमेर ने पत्र क्रमांक/भूअ/53/2024/7982 दिनांक 07.11.2024 के संलग्न भू–अभिलेख निरीक्षक माकड़वाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मय ग्राम पदमपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 558 खसरा संख्या 1007/1299 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी–2 की प्रति प्रेषित कर अवगत कराया है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात जरिये विक्रय राजस्व रेकॉर्ड में अन्य सहखातेदार का इन्द्राज हो चुका है, जिनको लम्बित वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। पत्र के संलग्न प्राप्त भू–अभिलेख निरीक्षक माकड़वाली की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2024 अनुसार वादग्रस्त खसरा संख्या 1007/1299 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी–2 वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 558 अनुसार वादी स्वयं व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा बेचान कर दिये जाने से अन्य सहखातेदार (राकेश शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा हि0 3/4) के नाम दर्ज है, जो कि प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब नहीं है।

हमने वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार, अजमेर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार, अजमेर की रिपोर्ट पत्र दिनांक 07.11.2024 एवं भू–अभिलेख निरीक्षक माकड़वाली की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2024 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1007/1299 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी–2 का विक्रय अन्य व्यक्ति को कर दिया गया है एवं क्रेता राकेश शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा हि0 3/4 का सहखातेदार के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज हो चुका है। इस तथ्य की पुष्टि ग्राम पदमपुरा के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 558 में वर्णित खसरा संख्या 1007/1299

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

से स्वतः ही होती है। तहसीलदार, अजमेर/भू–अभिलेख निरीक्षक माकड़वाली की जांच रिपोर्ट से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी का वादी द्वारा बेचान कर दिया गया किन्तु उक्त सम्पूर्ण तथ्य वादी के संज्ञान में होने के उपरान्त भी इस तथ्य को वरवक्त जांच रिपोर्ट एवं तत्पश्चात विचारण न्यायालय से गुप्त रखा गया। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1007/1299 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी–2 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा चाहा गया है जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी का बेचान अन्य व्यक्ति को कर दिये जाने से वादी आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं रहे हैं एवं ना ही आराजी में इनके स्वत्व नीहित रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों के फलस्वरूप वादी का वाद विधि अन्तर्गत संधारण योग्य नहीं पाया जाता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सत्यमेव जयते अजमेर

(रत्ना कौर)
सहायक कलक्टर (मु0)अजमेर
सहायक कलेक्टर (मु0)अजमेर